IMMEDIATE

No. 15/3/2016-Public
Government of India/ Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/ Grih Mantralaya
Public Section

***

North Block, New Delhi.
Dated the 4 August, 2016.

05 AUG 2016

To

The Chief Secretaries / Administrators of
All State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries / Departments of Govt. of India.

Subject : - Display of State Emblem of India.

- - -

Sir/Madam,

The State Emblem of India is the official seal of the Government of India. The State Emblem is an adaptation from the Sarnath Lion Capital of Asoka. The Emblem consists of the profile of the Lion Capital showing three Lions mounted on the abacus, with a Dharma Chakra in the Centre, a bull on the right, a galloping horse on the left and outlines of Dharma Chakras on the extreme right and left with the motto "*Satyameva Jayate*" – written in Devanagari script. Design of the State Emblem of India is provided in the Schedule of the State Emblem of India(Prohibition of Improper Use) Act, 2005.

2. It has been brought to notice of this Ministry that various Government agencies which are using the State Emblem of India on their stationery, publications, seals, vehicles, buildings, websites etc., often omit the motto "*Satyameva Jayate*" and are only depicting the profile of the Lion Capital. It may be noted that the State Emblem of India is **incomplete** without the motto "*Satyameva Jayate*" inscribed (in Devanagari script) below the profile of the Lion Capital. Incomplete display of the State Emblem of India is a violation of the aforesaid Act.

3. It has also been brought to notice of this Ministry that various individuals/authorities who are not authorized to use the State Emblem of India, are using the same on the stationery, vehicles etc. It may kindly be noted that the use of the State Emblem of India is restricted to the authorities/purposes specified in the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 and the State Emblem of India (Regulation of Use) Rules, 2007 [read with the State Emblem of India (Regulation of Use) Amendment Rules, 2010]. A copy of the Act and Rules is enclosed(also available on this Ministry's website www.mha.nic.in).

4. It is therefore, again reiterated that the Government agencies which are authorized to use the State Emblem of India for various official purposes must depict the complete 'State Emblem'

o/c

(2

together with the motto "*Satyameva Jayate*" – in Devanagari Script – inscribed below the profile of Lion Capital, as per the enclosed format and also to ensure that no unauthorized use of the State Emblem of India is made on stationery, vehicles etc.

5. Suitable instructions in this regard may please be issued to all concerned agencies and wide publicity in this regard be made alongwith its advertisement in the electronic and print media. Strict action should be taken against concerned officials (for incomplete display of the SEI) and individuals/ organisations (who are using SEI unauthorizedly) for any violation in this regard.

Encls : As above.

Yours faithfully,

(Anuj Sharma)
Director to the Government of India
Tel. No. 2309 2436

Copy to:-

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. All High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 20 Spare copies.

(5

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—05 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 61] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2005 / अग्रहायण 30, 1927

No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2005 / AGRAHAYANA 30, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 21st December, 2005/Agrahayana 30, 1927 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 20th December, 2005 and is hereby published for general information:—

THE STATE EMBLEM OF INDIA (PROHIBITION OF IMPROPER USE) ACT, 2005

No. 50 OF 2005

[*20th December*, 2005.]

An Act to prohibit the improper use of State Emblem of India for professional and commerical purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent, application and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005.

(*2*) It extends to the whole of India, and also applies to citizens of India ouside India.

(*3*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "competent authority" means any authority competent under any law for the time being in force to register any company, firm, other body of persons or any trade mark or design or to grant a patent;

(*b*) "emblem" means the State Emblem of India as described and specified in the Schedule to be used as an official seal of the Government.

Prohibition of improper use of emblem.

3. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall use the emblem or any colourable imitation thereof in any manner which tends to create an impression that it relates to the Government or that it is an offical document of the Central Government or, as the case may be, the State Government, without the previous permission of the Central Government or of such officer of that Government as may be authorised by it in this behalf.

Explanation.— For the purposes of this section, "person" includes a former functionary of the Central Government or the State Governments.

Prohibition of use of emblem for wrongful gain.

4. No person shall use the emblem for the purpose of any trade, business, calling or profession or in the title of any patent, or in any trade mark or design, except in such cases and under such conditions as may be prescribed.

Prohibition of registration of certain companies, etc.

5. (*1*) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no competent authority shall,—

(*a*) register a trade mark or design which bears the emblem, or

(*b*) grant a patent in respect of an invention which bears a title containing the emblem.

(*2*) If any question arises before a competent authority whether any emblem is an emblem specified in the Schedule or a colourable imitation thereof, the competent authority shall refer the question to the Central Government and the decision of the Central Government thereon shall be final.

General powers of Central Government to regulate use of emblem.

6. (*1*) The Central Government may make such provision by rules as appears to it to be necessary, to regulate the use of the emblem in official seal that is used in offices of the Central Government and the State Government and their organisations including diplomatic missions abroad, subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

(*2*) Subject to the provisions of this Act, the Central Government shall have powers—

(*a*) to notify the use of emblem on stationery, the method of printing or embossing it on demi-official stationery by the constitutional authorities, Ministers, Members of Parliament, Members of Legislative Assemblies, officers of the Central Government and the State Governments;

(*b*) to specify the design of the official seal consisting of the emblem;

(*c*) to restrict the dispaly of emblem on vehicles of constitutional authorities, foreign dignitaries, Ministers of the Central Government and the State Governments;

(*d*) to provide for guidelines for display of emblem on public buildings in India, the diplomatic missions and on the buildings occupied by the India's consulates abroad;

(*e*) to specify conditions for the use of emblem for various other purposes including the use for educational purposes and the armed forces personnel;

(*f*) to do all such things (including the specification of design of the emblem and its use in the manner whatsoever) as the Central Government considers necessary or expedient for the exercise of the foregoing powers.

Penalty.

7. (*1*) Any person who contravenes the provisions of section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, or if having been previously convicted of an offence under this section, is again convicted of any such offence, he shall be punishable for the second and for every subsequent offence with imprisonment

for a term which shall not be less than six months, which may extend to two years and with fine which may extend to five thousand rupees.

(*2*) Any person who contravenes the provisions of section 4 for any wrongful gain shall be punishable for such offence with imprisonment for a term which shall not be less than six months, which may extend to two years and with fine which may extend to five thousand rupees.

Previous sanction for prosecution.

8. No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted, except with the previous sanction of the Central Government or of any officer authorised in this behalf by general or special order of the Central Government.

Savings.

9. Nothing in this Act shall exempt any person from any suit or other proceedings which might be brought against him under any other law for the time being in force.

Act to have overriding effect.

10. The provisions of this Act or any rule made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument having effect by virtue of such enactment.

Power to make rules.

11. (*1*) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(*a*) cases and conditions regulating the use of emblem under section 4;

(*b*) making rules to regulate the use of the emblem in official seal of the Government and specifying restrictions and conditions relating thereto under sub-section (*1*) of section 6;

(*c*) the use of emblem on stationery, design of official seal consisting of emblem and other matters under sub-section (*2*) of section 6;

(*d*) authorising officer by general or special order for giving previous sanction for instituting prosecution under section 8; and

(*e*) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(*3*) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

THE SCHEDULE

[*See* section 2(*b*)]

STATE EMBLEM OF INDIA

DESCRIPTION AND DESIGN

The State Emblem of India is an adaptation from the Sarnath Lion Capital of Asoka which is preserved in the Sarnath Museum. The Lion Capital has four lions mounted back to back on a circular abacus. The frieze of the abacus is adorned with sculptures in high relief of an elephant, a galloping horse, a bull and a lion separated by intervening Dharma Chakras. The abacus rests on a bell-shaped lotus.

The profile of the Lion Capital showing three lions mounted on the abacus with a Dharma Chakra in the centre, a bull on the right and a galloping horse on the left, and outlines of Dharma Chakras on the extreme right and left has been adopted as the State Emblem of India. The bell-shaped lotus has been omitted.

The motto "Satyameva Jayate"—Truth alone triumphs—written in Devanagari script below the profile of the Lion Capital is part of the State Emblem of India.

The State Emblem of India shall conform to the designs as set out in Appendix I or Appendix II.

APPENDIX I

Note.— This design is in simplified form and meant for reproduction in small sizes, such as for use in stationery, seals and die-printing.

APPENDIX II

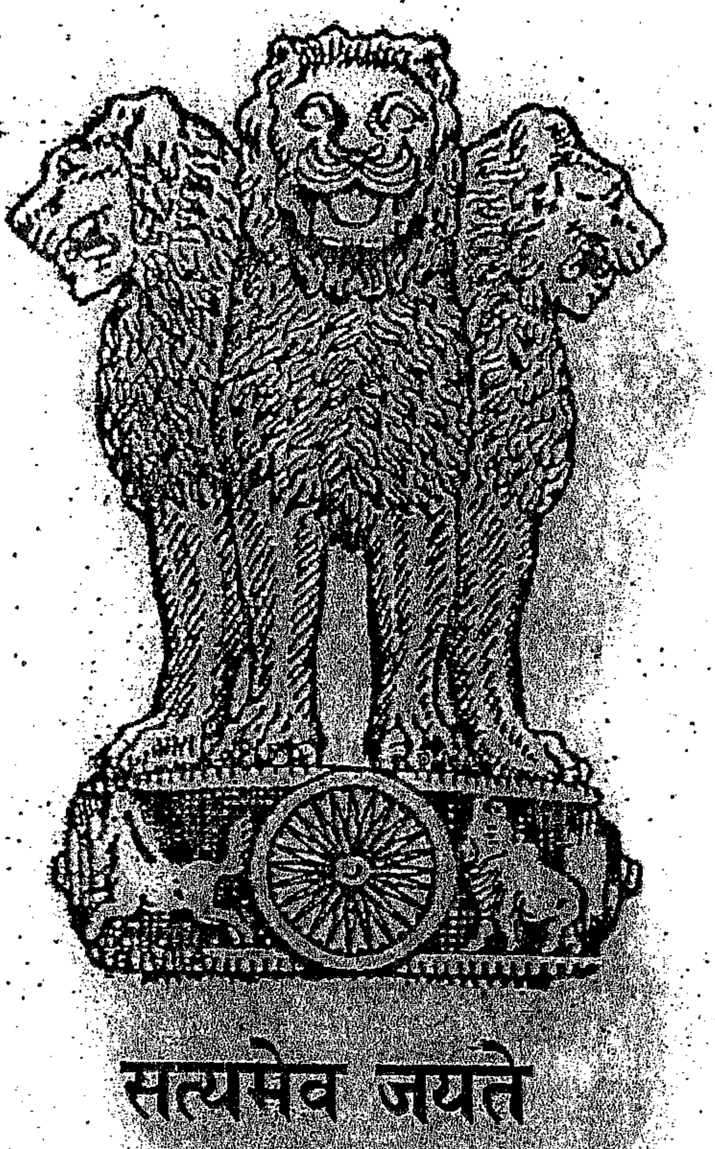

Note.— This design is more detailed and meant for reproduction in bigger sizes.

T. K. VISWANATHAN,
Secy., to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI—2005.

MGIPMRND—4742GI—23-12-2005.

भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 50)

[20 दिसम्बर, 2005]

वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर, भारत के नागरिकों को भी लागू होता है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कंपनी, फर्म, अन्य व्यक्ति निकाय या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन को रजिस्ट्रीकृत करने या कोई पेटेंट प्रदान करने के लिए सक्षम है;

(ख) "संप्रतीक" से सरकार की शासकीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए अनुसूची में यथावर्णित और विनिर्दिष्ट भारत का राज्य संप्रतीक अभिप्रेत है।

संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध।

3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, संप्रतीक या उसकी मिलती-जुलती नकल का, किसी ऐसी रीति में, जिससे यह धारणा उत्पन्न होती है कि वह सरकार से संबंधित है या यह कि वह, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई शासकीय दस्तावेज है, केन्द्रीय सरकार या उस सरकार के ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, जिसे वह सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रयोग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों का कोई भूतपूर्व कृत्यकारी भी है।

सदोष अभिलाभ के लिए संप्रतीक के प्रयोग का प्रतिषेध।

4. कोई व्यक्ति, किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के नाम में या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन में संप्रतीक का प्रयोग, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन करने के सिवाय, जो विहित की जाएं, नहीं करेगा।

कतिपय कंपनियों आदि के रजिस्ट्रीकरण का प्रतिषेध।

5. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई सक्षम प्राधिकारी,—

(क) किसी ऐसे व्यापार चिह्न या डिजाइन को, जिस पर संप्रतीक हो, रजिस्टर नहीं करेगा, या

(ख) किसी ऐसे आविष्कार के संबंध में जिसका ऐसा नाम हो, जिसमें संप्रतीक आ जाता हो, कोई पेटेन्ट प्रदान नहीं करेगा।

(2) यदि किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि कोई संप्रतीक अनुसूची में विनिर्दिष्ट संप्रतीक या उसकी मिलती-जुलती नकल है या नहीं तो सक्षम प्राधिकारी उस प्रश्न को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने की केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां।

6. (1) केंद्रीय सरकार ऐसी शासकीय मुद्रा में, जिसका केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार तथा उनके संगठनों, जिनके अंतर्गत विदेशों में राजनयिक मिशन भी हैं, के कार्यालयों में उपयोग किया जाता है, संप्रतीक के उपयोग को विनियमित करने के लिए, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, नियमों द्वारा ऐसा उपबंध कर सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित शक्तियां होंगी,—

(क) सांविधानिक प्राधिकारियों, मंत्रियों, संसद् सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा लेखन सामग्री पर संप्रतीक के प्रयोग, अर्धशासकीय लेखन सामग्री पर उसके मुद्रण या समुद्भृत की रीति को अधिसूचित करना;

(ख) शासकीय मुद्रा की, जिसमें संप्रतीक समाविष्ट हो, डिजाइन को विनिर्दिष्ट करना;

(ग) सांविधानिक प्राधिकारियों, विदेशी उच्च पदस्थों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रियों के वाहनों पर संप्रतीक के संप्रदर्शन को निर्बंधित करना;

(घ) भारत में लोक भवनों, राजनयिक मिशनों और विदेश में भारत के कौंसल कार्यालयों के दखलकृत भवनों पर संप्रतीक को संप्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपबंध करना;

(ङ) विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए, जिनके अंतर्गत शैक्षिक प्रयोजनों और सशस्त्र कार्मिकों के लिए प्रयोग भी है, संप्रतीक के प्रयोग के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(च) ऐसी सभी बातें (जिनके अंतर्गत संप्रतीक के डिजाइन का विनिर्देश और इसके प्रयोग की रीति, चाहे जो हो, भी है) करना जो केन्द्रीय सरकार पूर्वगामी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

शास्ति।

7. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा या यदि उसे इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष ठहराए जा चुका है और उसके पश्चात् उसे, उस अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो सदोष अभिलाभ के लिए धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी।

8. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, केन्द्रीय सरकार की या केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, संस्थित नहीं किया जाएगा।

व्यावृत्ति।

9. इस अधिनियम की किसी बात से किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी वाद या अन्य कार्यवाही से, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, छूट प्राप्त नहीं होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

10. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध, किसी अन्य अधिनियमिति या ऐसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाली लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के अधीन संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने वाले मामले और शर्तें;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की शासकीय मुद्रा में संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने और उससे संबंधित निर्बंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाना;

(ग) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग, संप्रतीक वाली शासकीय मुद्रा का डिजाइन और अन्य विषय;

(घ) धारा 8 के अधीन अभियोजन संस्थित करने के लिए पूर्व मंजूरी देने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकारी को प्राधिकृत करना; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या जिसे विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

[धारा 2(ख) देखिए]

भारत का राज्य संप्रतीक

वर्णन और डिजाइन

भारत का राज्य संप्रतीक अशोक के सारनाथ स्थित उस सिंह स्तंभ शीर्ष से अंगीकार किया गया है जो सारनाथ संग्रहालय में परिरक्षित है। सिंह स्तंभ शीर्ष पर चार सिंह वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ लगाए बैठे हैं। शीर्ष-फलक की मध्य पट्टी ऊर्ध्वांकित एक हाथी, एक दौड़ते हुए घोड़े, एक सांड और एक सिंह की मूर्तियों से अलंकृत है, जिन्हें मध्यवर्ती धर्मचक्र द्वारा पृथक् किया गया है। शीर्ष फलक घण्टे के आकार के कमल पर रखा हुआ है।

पार्श्व चित्र में शीर्ष फलक पर तीन सिंह बैठे दिखाई देते हैं, बीच में धर्मचक्र, उसके दाहिनी ओर एक बैल और बाईं ओर दौड़ता हुआ एक घोड़ा है और उनके एकदम दाहिनी और बाईं ओर धर्मचक्र को भारत के राज्य संप्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया है। घण्टे के आकार के कमल का लोप कर दिया गया है।

सिंह स्तंभ शीर्ष चित्र के पार्श्व चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते"—सत्य की ही विजय होती है—भारत के राज्य संप्रतीक का भाग है।

भारत का राज्य संप्रतीक परिशिष्ट–1 या परिशिष्ट–2 में यथाउपवर्णित डिजाइन के अनुरूप होगा।

APPENDIX I

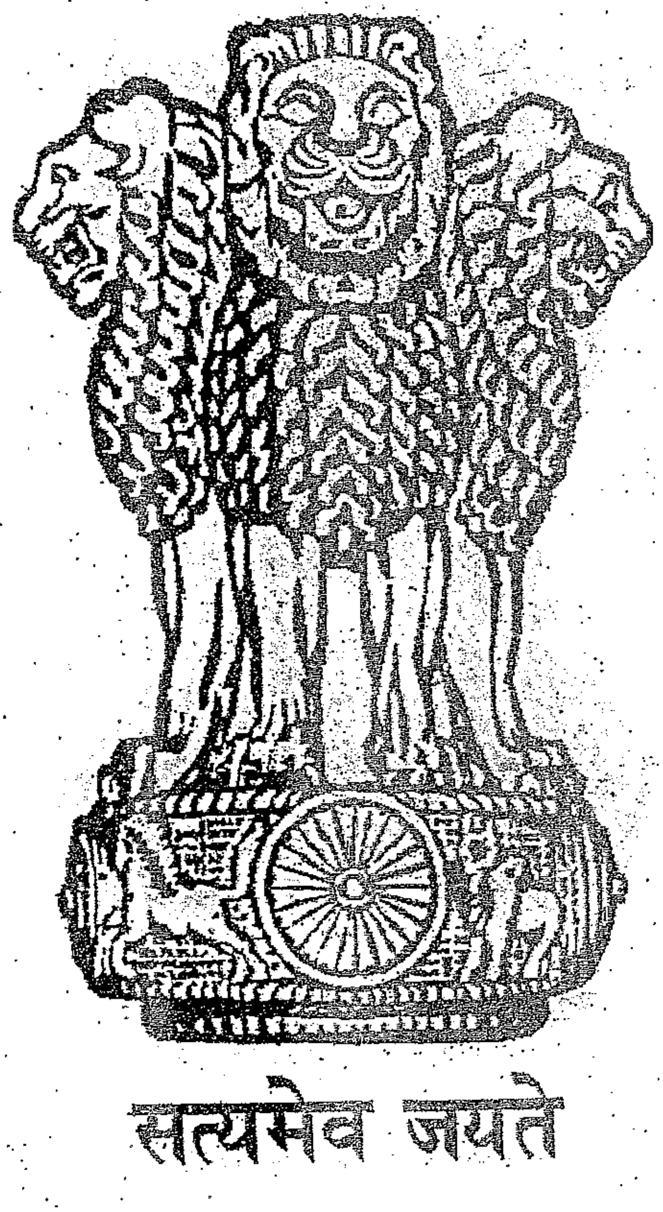

Note.— This design is in simplified form and meant for reproduction in small sizes, such as for use in stationery, seals and die-printing.

APPENDIX II

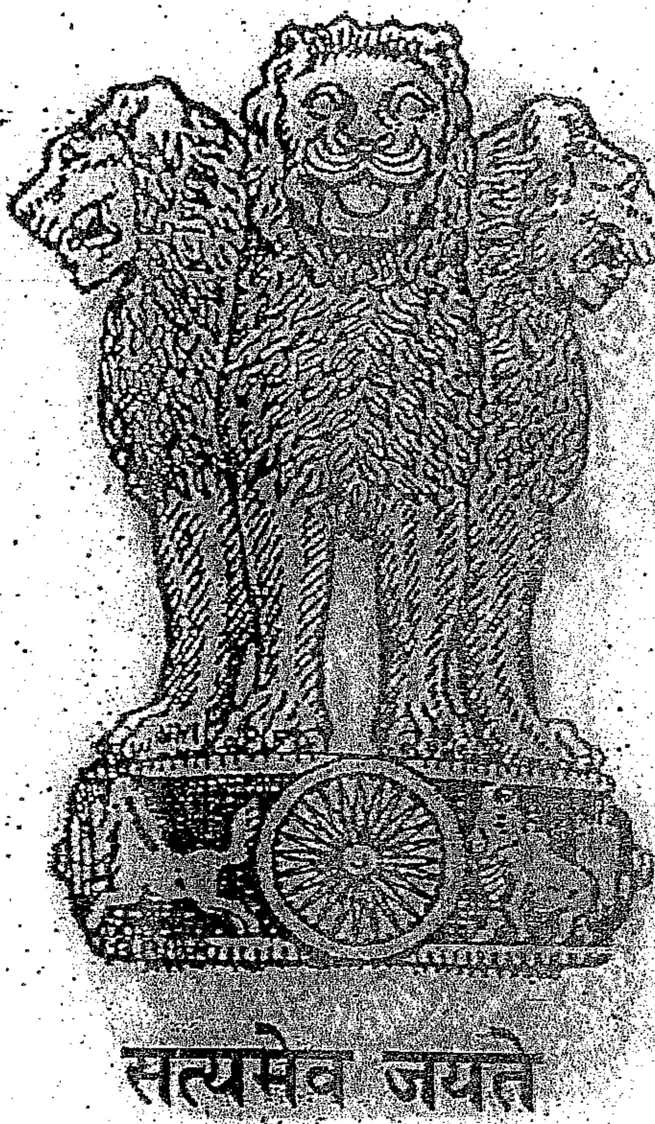

Note.— This design is more detailed and meant for reproduction in bigger sizes.

T. K. VISWANATHAN,
Secy., to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI—2005.

MGIPMRND—4742GI—23-12-2005.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 4, 2007/आश्विन 12, 1929
No. 448] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2007/ASVINA 12, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 643(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 50) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासकीय मुद्रा में और लेखन सामग्री पर भारत के राज्य संप्रतीक के प्रयोग और उसके डिजाइन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत और भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर भी होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 50) अभिप्रेत है;

(ख) "संप्रतीक" से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित भारत का राज्य संप्रतीक अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(घ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

3. **शासकीय मुद्रा का डिजाइन.**—(1) शासकीय मुद्रा के डिजाइन में अंडाकार या गोल विरचना में संलग्न संप्रतीक होगा ।

(2) विरचना के आंतरिक और बाहरी घेरों के बीच मंत्रालय या कार्यालय का नाम उपदर्शित होगा ।

(3) जहां किसी मंत्रालय या कार्यालय का पूरा नाम रखा जाना संभव नहीं है, वहां उसके नाम का संक्षिप्त रूप अंकित किया जा सकेगा ।

4. **राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अंगीकार करना.**—(1) कोई राज्य सरकार संप्रतीक को, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शासकीय संप्रतीक के रूप में अंगीकार कर सकेगी ।

(2) जहां कोई राज्य सरकार, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में, संप्रतीक या उसके किसी भाग का सम्मिलित करने

का प्रस्ताव करती है, वहां वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसा करेगी और डिजाइन तथा अभिन्यास को केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित कराएगी :

परन्तु जहां किसी राज्य सरकार ने, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक या उसका भाग पहले से ही सम्मिलित किया हुआ है, वहां वह इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, संप्रतीक का प्रयोग जारी रख सकेगी ।

5. **शासकीय मुद्रा में प्रयोग.**—शासकीय मुद्रा में संप्रतीक का प्रयोग, अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित होगा ।

6. **लेखन सामग्री पर प्रयोग.**—(1) शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग, पूर्वोक्त अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित रहेगा ।

(2) संप्रतीक, जब शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर मुद्रित या समुद्भृत किया जाए तो वह ऐसी लेखन सामग्री के शीर्ष के मध्य में सुस्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा ।

7. **वाहनों पर संप्रदर्शन.**—वाहनों पर संप्रतीक का प्रयोग अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित होगा।

8. **सरकारी भवनों पर संप्रदर्शन.**—(1) संप्रतीक को, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय सचिवालय भवन जैसे अति महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा ।

(2) संप्रतीक को, उन राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के राजभवन या राज निवास और राज्य विधान मंडल, उच्च न्यायालयों और सचिवालय भवनों पर भी संप्रदर्शित किया जा सकेगा, जिन्होंने संप्रतीक को अंगीकार किया है या जिन्होंने राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में, संप्रतीक को सम्मिलित किया हुआ है ।

(3) संप्रतीक को, विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन के परिसरों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा और मिशनों के प्रमुख अपने प्रत्यायन के देशों में अपने निवास स्थानों पर संप्रतीक को संप्रदर्शित कर सकेंगे ।

(4) संप्रतीक को, विदेशों में भारत के कौंसलावास द्वारा अधिभोग किए गए भवनों पर, उनके प्रवेश द्वारों पर और उनके प्रत्यायन के देशों में कौंसलीय पदों के प्रमुखों के निवास स्थानों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा ।

9. **विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग.**—इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संप्रतीक का प्रयोग अनुसूची-III में यथानिविर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा ।

10. **संप्रतीक के प्रयोग पर निर्बंधन.**—(1) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति (जिसके अंतर्गत भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व संसद सदस्य, विधान सभाओं के भूतपूर्व सदस्य, भूतपूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी जैसे सरकार के भूतपूर्व कृत्यकारी भी हैं) किसी भी रीति में, संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किए गए से भिन्न कोई आयोग या समिति, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, बैंक, नगरपालिका परिषद्, पंचायतराज संस्था, परिषद्, गैर-सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय किसी भी रीति में सप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(3) कोई संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, किसी रीति में अपने लेटरहेडों, पुस्तिकाओं, आसनों, कलगी, बैज, हाउस फ्लैगों पर या किसी अन्य प्रयोजन के लिए संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा ।

(4) ऐसी लेखन-सामग्री पर, जिसके अंतर्गत लैटरहेड, परिचय-कार्ड और बधाई कार्ड भी हैं, जो ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ लेखन सामग्री पर इन नियमों के अधीन संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं, अधिवक्ता, संपादक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे शब्द नहीं होंगे ।

11. **संप्रतीक के प्रयोग को निर्बंधित करने वाली दशाएं और शर्तें.**—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के शीर्षक में या किसी व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन में संप्रतीक या उससे मिलती-जुलती नकल का प्रयोग नहीं करेगा या उसका प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा :

परन्तु कोई व्यक्ति श व्यक्ति समूह, संगम, निकाय, निगम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके द्वारा आयोजित किसी समारोह के संबंध में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग के साथ संयुक्त रूप से किसी प्रकाशन के संबंध में संप्रतीक का प्रयोग कर सकेगा।

12. **संप्रतीक के डिजाइन की उपलब्धता.**—(1) संप्रतीक के फोटो ग्राफिक डिजाइन प्रबंधक, फोटोलिथो खण्ड, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली में उपलब्ध हैं और उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं ।

(2) संप्रतीक के मानक, डाई का नमूना, मुख्य नियंत्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री, नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है ।

अनुसूची-I

(नियम 5 और 6 देखें)

संविधानिक या कानूनी प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग, राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और अन्य सरकारी कृत्यकारी, जो संप्रतीक का प्रयोग कर सकेंगे ।

(i) राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघ का कोई मंत्री ;

(ii) राज्यपाल, उप-राज्यपाल, प्रशासन, यदि, यथास्थिति, संप्रतीक को उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अंगीकार किया गया है या उसके संप्रतीक में उसे सम्मिलित किया गया है ;

(iii) भारत की संसद का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(iv) न्यायाधीश और न्यायपालिका के कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(v) योजना आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी;

(vi) भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(vii) भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(viii) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य और संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी ;

(ix) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और कार्यालय तथा उनके अधिकारी ;

(x) विदेशों में राजनयिक मिशन और उनके अधिकारी ;

(xi) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री और मंत्री, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

(xii) संसद सदस्य और यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यों की विधान सभाओं या विधान परिषदों के सदस्य ;

(xiii) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के मंत्रालय, विभाग और कार्यालय और उनके अधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

(xiv) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभाओं या विधान परिषदों के कार्यालय और अधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

(xv) संसद के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आयोग और प्राधिकरण ;

(xvi) राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित या राज्य सरकार द्वारा स्थापित आयोग और प्राधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

स्पष्टीकरण : इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, ''अधिकारी'' पद से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का कोई राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है।

अनुसूची II

(नियम 7 देखें)

भाग 1

सांविधानिक प्राधिकारी और अन्य उच्चाधिकारी, जो अपनी कारों पर संप्रतीक संप्रदर्शित कर सकेंगे

(i) राष्ट्रपति भवन की कारें, जब निम्नलिखित उच्चाधिकारी या उनके पति या पत्नी ऐसे वाहनों में यात्रा कर रहे हों :

(क) राष्ट्रपति,

(ख) विदेशी राज्यों के प्रमुख अतिथि,

(ग) विदेशी राज्यों के अतिथि, उप-राष्ट्रपति या समतुल्य प्रास्थिति के उच्चाधिकारी,

(घ) विदेशी सरकारों के प्रमुख अतिथि या किसी विदेशी राज्य के राजकुमार या राजकुमारी जैसे समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,

(ङ) राष्ट्रपति की कार के पीछे चलने वाली अतिरिक्त कार ;

(ii) उप-राष्ट्रपति की कार, जब वह या उसका पति या उसकी पत्नी ऐसे वाहन में यात्रा कर रहे हों ;

(iii) राजभवन और राज निवासों की कारें, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में उसे सम्मिलित किया गया है, जब संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे वाहनों द्वारा निम्नलिखित उच्चाधिकारी या उनके पति या पत्नी यात्रा कर रहे हों :

(क) राष्ट्रपति,

(ख) उप-राष्ट्रपति,

(ग) राज्य का राज्यपाल,

(घ) संघ राज्यक्षेत्र का उप-राज्यपाल,

(ङ) विदेशी राज्यों के प्रमुख अतिथि,

(च) विदेशी राज्यों के अतिथि उप-राष्ट्रपति या समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,

(छ) विदेशी सरकारों के प्रमुख अतिथि या समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,

(iv) भारत के राजनयिक मिशनों के प्रमुखों द्वारा प्रत्यायन के देश में उपयोग की जाने वाली कारें और परिवहन के अन्य साधन ;

(v) विदेश में भारत के काउंसेल के प्रमुख द्वारा प्रत्यायन के देश में उपयोग की जाने वाली कारें और परिवहन के अन्य साधन ;

(vi) विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा रखी जाने वाली कारें, जब उनका उपयोग भारत में आए हुए कैबिनेट मंत्रियों और उससे उच्च रैंक के विदेशी उच्चाधिकारियों और समारोह के अवसर पर भारत में प्रत्यायित राजदूत की ड्यूटी में किया जा रहा हो।

भाग 2

प्राधिकारी, जो अपनी कारों पर तिकोनी धातु की पट्टिका पर अशोक चक्र (जो संप्रतीक का भाग है) संप्रदर्शित कर सकेंगे :

(i) प्रधान मंत्री और संघ के मंत्रियों, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापति की कारें, जब वे भारत में कहीं भी यात्रा कर रहे हों ;

(ii) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की कारें, अपने-अपने राज्यक्षेत्र के भीतर ;

(iii) राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों, राज्यों के राज्य मंत्रियों, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उप-सभापति, विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों (उप-मंत्रियों को छोड़कर) और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की कारें जब वे, यथास्थिति, अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर यात्रा कर रहे हों (यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है।

अनुसूची III

(नियम 9 देखें)

अन्य प्रयोजन जिनके लिए संप्रतीक प्रयोग किया जा सकेगा

(i) विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों के परिचय कार्ड ;

(ii) विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों द्वारा भेजे गए बधाई कार्ड ;

(iii) सरकार के सरकारी प्रकाशन ;

(iv) सरकार द्वारा निर्मित फिल्म और वृत्तचित्र ;

(v) स्टाम्प पेपर ;

(vi) सरकारी विज्ञापन, बैनर, पुस्तिकाएं, बोर्ड आदि ;

(vii) कलगी, फ्लैग, आसन ऐसे उपांतरण के साथ, जो आवश्यक हों ;

(viii) सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, अनुज्ञप्तियां, परमिट आदि ;

(ix) सरकार की वेबसाइट ;

(x) भारत सरकार की टकसालों या मुद्रणालयों द्वारा जारी सिक्के, करेंसी नोट, वचनपत्र और डाक टिकट ;

(xi) सरकार द्वारा संस्थित मेडल, प्रमाणपत्र और सनद ;

(xii) सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र ;

(xiii) राष्ट्रपति भवन, राज-भवनों, राज निवासों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों या केन्द्रों में प्रयोग में आने वाले प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कांच के बर्तन, चीनी के बर्तन व छुरी कांटे ;

(xiv) (क) संघ के सशस्त्र बलों के कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारियों ;

(ख) संघ और ऐसी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों की वर्दी वाली सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों, जिसने उस राज्य या संघराज्य क्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक अंगीकृत किया है या उसमें संप्रतीक सम्मिलित किया है ;

(ग) राष्ट्रपति भवन और विदेशों में भारतीय मिशन और पदों के प्राधिकृत कर्मचारिवृंदों ; की गणवेश पर ऐसे उपांतरणों के साथ, जो आवश्यक हों, बैज, कालर बटन आदि ;

(xv) विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें, इतिहास, कला या संस्कृति की पुस्तकें या संप्रतीक के उद्‌गम, महत्व या अंगीकार करने को स्पष्ट करने या उसका दृष्टांत देने के प्रयोजन के लिए किसी अध्याय, धारा आदि के पाठ के भाग रूप में किसी नियतकालिक पत्रिका में :

परन्तु संप्रतीक ऐसे प्रकाशन के मुख्य पृष्ठ, शीर्षक या आवरण पर प्रयोग नहीं किया जाएगा जिससे कि यह धारणा बनाई जा सके कि यह सरकारी प्रकाशन है।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए ''सरकार'' के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन हैं जिसने, यथास्थिति, संप्रतीक अंगीकृत किया है या उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया है।

[फा. सं. 13/9/2006-पब्लिक]

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2007

G.S.R. 643(E).— In exercise of the powers conferred by Section 11 of the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 (50 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules regulating the use of the State Emblem of India in official seal and on stationery and its design, namely :—

1. Short title, extent, application and commencement.— (1) These rules may be called the State Emblem of India (Regulation of Use) Rules, 2007.

(2) It extends to the whole of India and also to the citizens of India outside India.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 (50 of 2005);

(b) "Emblem" means the State Emblem of India as defined in clause (b) of Section 2 of the Act;

(c) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(d) "State Government" in relation to a Union territory means the Administrator of that Union territory appointed by the President under article 239 of the Constitution.

3. Design of the official seal.— (1) The design of the Official Seal shall have the emblem enclosed in an oval or round frame.

(2) The name of the Ministry or the office shall appear between the inner and outer rims of the frame.

(3) The abbreviated form of the name of a Ministry or the office may be inscribed where it is not possible to accommodate the name in full.

4. Adoption by States or Union territories.— (1) A State Government may adopt the emblem as the official Emblem of the State or the Union territory, as the case may be, without obtaining the approval of the Central Government.

(2) Where a State Government proposes to incorporate the emblem or any part thereof in the Emblem of that State or Union territory, as the case may be, it shall do so after obtaining the prior approval of the Central Government and shall get the design and lay out approved by the Central Government :

Provided that where a State Government has already incorporated the emblem or part thereof in the Emblem of that State or Union territory, as the case may be, prior to the coming into force of these rules, it may, subject to the other provisions of these rules, continue to use the emblem.

5. Use in official seals.—The use of the emblem in official seal shall be restricted to the authorities specified in Schedule I.

6. Use on stationery.— (1) The use of the emblem on official or demi-official stationery shall be restricted to the authorities specified in the Schedule I aforesaid.

(2) The emblem, when printed or embossed on official or demi-official stationery, shall appear prominently on the middle of the top of such stationery.

7. Display on vehicles.—The use of the emblem on vehicles shall be restricted to the authorities specified in Schedule II.

4092 GI/07-2

82 (16

8. Display on public buildings.—(1) The emblem may be displayed on very important public buildings, like, the Rashtrapati Bhawan, Parliament House, Supreme Court and Central Secretariat buildings.

(2) The emblem may be displayed on Raj Bhawan or Raj Niwas and State Legislature, High Courts and Secretariat buildings of the States or the Union Territories that have adopted the emblem or have incorporated the emblem in the Emblem of the State or the Union Territory.

(3) The emblem may be displayed on the premises of India's Diplomatic Mission abroad and the heads of Missions may display the emblem at their residences in the countries of their accreditation.

(4) The emblem may be displayed on the buildings occupied by India's Consulates abroad at the entrance doors thereof and on the residences of Heads of consular posts in the countries of their accreditation.

9. Use for various other purposes.—Subject to the provisions of these rules, the emblem may be used for other purposes as are specified in Schedule III.

10. Restriction on the use of the emblem.— (1) No person (including former functionaries of the Government, like, former Ministers, former Members of Parliament, former Members of Legislative Assemblies, former judges and retired Government officials), other than those authorised under these rules, shall use the emblem in any manner.

(2) No Commission or Committee, Public Sector Undertaking, Bank, Municipal Council, Panchayat Raj Institution, Parishad, non-government organisation, University, other than those authorised under these rules, shall use the emblem in any manner.

(3) No association or body of persons, whether incorporated or not, shall use the emblem on their letter-heads, brochures, seats, crests, badges, house flags or for any other purpose in any manner.

(4) The stationery, including letter heads, visiting cards and greeting cards, with emblem printed or embossed on it, shall not bear words, like, Advocate, Editor, Chartered Accountant with the name of the person authorised to use the emblem under these rules on the stationery.

11. Cases and conditions restricting the use of the emblem.— No person shall use or continue to use the emblem or any colourable imitation thereof for the purpose of any trade, business, calling or profession or in the title of any patent, or in any trade mark or design:

Provided that a person or a group of persons, association, body, corporate, may use the emblem in connection with an event organised by it or a publication brought out jointly with a Ministry or Department of the Central or State Government, with the prior approval of the Central Government.

12. Availability of design of the emblem.— (1) Photographic designs of the emblem are available with, and can be obtained from, the Manager, Photo Litho Wing, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.

(2) Sample of standard dies of the emblem can be obtained from the Office of the Chief Controller of Printing and Stationery, New Delhi.

SCHEDULE I

(See rules 5 and 6)

Constitutional or Statutory Authorities, Ministries or Departments of the Central Government, State Governments or Union Territory Administrations and other Government Functionaries which may use the Emblem.

(i) President, Vice-President, Prime Minister and a Union Minister;

(ii) Governors, Lieutenant Governors, Administrators, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the Union Territory, as the case may be;

(iii) Office and officers of the Parliament of India;

(iv) Judges and office and officers of the Judiciary;

(v) Office and officers of the Planning Commission;

(vi) Chief Election Commissioner of India, Election Commissioners and the office and officers of the Election Commission of India;

(vii) Comptroller and Auditor General of India, the office and officers of the Comptroller and Auditor General of India;

(viii) Chairperson and Members of the Union Public Service Commission and the office and officers of the Union Public Service Commission;

(ix) Ministries, Departments and offices of the Central Government and their officers;

(x) Diplomatic Missions abroad and their officers;

(xi) Chief Ministers and Ministers of the States and the Union territories, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the Union territory;

(xii) Members of Parliament and members of State or the Union territory Legislative Assemblies or Councils, as the case may be;

(xiii) Ministries, Departments and offices of the State and the Union territory Governments and their officers, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the Union territory;

(xiv) Office and officers of the State or the Union territory Legislative Assemblies or Councils, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the Union territory;

(xv) Commissions and authorities, constituted or established by an Act of Parliament or set up by the Central Government;

(xvi) Commissions and authorities constituted or established by an Act of the State Legislature or set up by the State Government, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the Union territory;

Explanation - For the purpose of this Schedule, the expression 'officer' shall mean a gazetted officer of the Central Government; or the State Government or the Union territory Administration.

SCHEDULE II

(See rule 7)

PART I

Constitutional Authorities and other Dignitaries which may Display the Emblem on their Cars

(i) cars of Rashtrapati Bhawan, when the following dignitaries or their spouses are travelling by such vehicles:

- (a) President,
- (b) visiting Heads of foreign States,
- (c) visiting Vice-Presidents of foreign State or dignitaries of equivalent status,
- (d) visiting heads of foreign Governments or dignitaries of equivalent status like Crown Prince or Princess of a foreign State,
- (e) the spare car following the car of the President;

(ii) car of Vice-President when he or his spouse is travelling by such vehicle;

(iii) cars of Raj Bhawan and Raj Niwas, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the Union territory, when the following dignitaries or their spouses are travelling by such vehicles within the State or the Union territory concerned:

- (a) President,
- (b) Vice-President,
- (c) Governor of the State,
- (d) Lieutenant Governor of the Union territory,
- (e) Visiting Heads of foreign States,
- (f) Visiting Vice-Presidents of foreign States or dignitaries of equivalent status,
- (g) Visiting Heads of foreign Governments or dignitaries of equivalent status;

(iv) cars and other means of transport used by the Heads of India's Diplomatic Missions in the countries of their accreditation;

(v) cars and other means of transport used by the Heads of India's Counsellor posts abroad in the countries of their accreditation;

(vi) cars maintained by the Protocol Division of the Ministry of External Affairs when in use for duty with the foreign dignitaries of the rank of Cabinet Ministers and above visiting India, and Ambassadors accredited to India on ceremonial occasions.

PART II

Authorities which may Display the Ashoka Chakra (which is Part of the Emblem) on Triangular Metal Plaques on their Cars

(i) cars of the Prime Minister and Ministers of the Union, Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha, Deputy Chairperson of the Rajya Sabha when travelling anywhere in India;

(ii) cars of Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court, and Chief Justices and Judges of High Courts within their respective territories;

(iii) cars of Cabinet Ministers in States, Ministers of States in States, Speakers and Deputy Speakers of the State Legislative Assemblies, Chairmen and Deputy Chairmen of Councils of States, Ministers (other than Deputy Ministers) of Union territories with Legislature, and Speakers and Deputy Speakers of Legislative Assemblies in Union territories, when they are travelling within their State or Union territory, as the case may be (if the emblem is adopted by, or is incorporated in the Emblem of, the State or the Union territory).

SCHEDULE III

(See rule 9)

Other Purposes for which Emblem may be used

(i) Visiting Cards of the functionaries or officers specified in Schedule-I for legitimate representational purpose;

(ii) Greeting Cards sent by functionaries or officers specified in Schedule-I for legitimate representational purpose;

(iii) official publications of the Government;

(iv) films and documentaries produced by the Government;

(v) stamp papers;

(vi) Government advertisements, banners, pamphlets, boards, etc.;

(vii) crests, flags, seats with such modification as considered necessary;

(viii) identity cards, licenses, permits, etc., issued by the Government;

(ix) websites of the Government;

(x) coins, currency notes, promissory notes and postal stamps issued by the Mint or Press of the Government of India;

(xi) Medals, Certificates and Sanads instituted by the Government;

(xii) invitation cards for functions of the Government;

(xiii) representational glassware crockery and cutlery used at the Rashtrapati Bhawan, Raj Bhawans, Raj Niwases and Indian Missions or Posts abroad;

(xiv) Badges, collars, buttons, etc., with such modifications as are considered necessary, on the uniforms of—

(a) commissioned or gazetted officers of the armed forces of the Union;

(b) gazetted officers of uniformed services (other than armed forces) of the Union and such of the State Governments and Union territory Administrations that have adopted the emblem, or have incorporated the emblem in the Emblem of that State or Union territory;

(c) authorised staff of Rashtrapati Bhawan and Indian Missions or Posts abroad;

(xv) school textbooks, books on history, art or culture or in any periodical as part of the text of a Chapter, Section, etc., for the purpose of explaining or illustrating the origin, significance or adoption of the emblem:

Provided that the emblem shall not be used on the front page, title or cover of such publication so as to give an impression that it is a Government publication.

Explanation :—For the purpose of this Schedule, the "Government" includes the Central Government, the State Governments and Union territory Administrations, which have adopted or incorporated the emblem in the Emblem of that State or Union territory, as the case may be.

[F. No. 13/9/2006-Public]

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2010/श्रावण 1, 1932

No. 411] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2010/SHRAVANA 1, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 629(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 में, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, नियम 10 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) इन नियमों के अधीन संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के नाम के साथ लेखन सामाग्री पर, जिसके अंतर्गत उस पर मुद्रित या उत्कीर्णित संप्रतीक सहित पत्र शीर्ष, परिचय पत्र और बधाई पत्र भी हैं, कोई वृत्तिक अर्हता या प्राइवेट वृत्ति उल्लिखित नहीं होगी ।"

3. उक्त नियम में,—

(i) अनुसूची 1 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए 'अधिकारी' पद से कोई राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है ।" ;

(ii) अनुसूची 2 के पैरा 1 में, पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii)(क) उप-राष्ट्रपति की कार, जब वह या उनका पति या उनकी पत्नी ऐसे वाहन में यात्रा कर रहे हों ;

(ख) उप-राष्ट्रपति की कार के पीछे चलने वाली अतिरिक्त कार ;"

(iii) अनुसूची 3 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए "सरकार" में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और अनुसूची 1 में उल्लिखित अन्य कार्यालय सम्मिलित हैं ।"

[फा. सं. 13/3/2009-पब्लिक]

आर. पी. नाथ, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 643(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2010

G.S.R. 629(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005, the Central Government hereby makes the following rules to amend the State Emblem of India (Regulation of Use) Rules, 2007 namely :—

1. (1) These rules may be called the State Emblem of India (Regulation of Use) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the State Emblem of India (Regulation of Use) Rules, 2007, hereinafter referred to as the said Rules, in rule 10, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(4) No professional qualification or private profession shall be mentioned with the name of the person authorised to use the emblem under these rules on the stationery, including letter heads, visiting cards and greetings cards with emblem printed or embossed on it."

3. In the said rules,—

(i) In Sehedule I, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"**Explanation**—For the purpose of this Schedule, the expression 'officer' shall means a gazetted officer.";

(ii) In Schedule II, in part I for paragraph (ii), the following paragraph shall be substituted, namely :—

"(ii) (a) car of Vice-President when he or his spouse is travelling by such vehicle;

(b) the spare car following the car of the Vice-President;"

(iii) In Schedule III, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"**Explanation**—For the purpose of this Schedule, "Government" includes the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations and other Offices mentioned in Schedule I";

[F. No. 13/3/2009-Public]

R.P. NATH, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 643(E), dated the 4th October, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.